न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1038 सन 2020
अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. रामप्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 15/03/2021

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा कुल 30.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन धानसिया को आवंटन की गई थी।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को आवंटित भूमि को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान साबिका खसरा से हाल खसरा नम्बरों में परिर्वतन किया गया था अर्थात वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को आवटित भूमि रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा हाल खसरा न0 254 /1611 की 9.06 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा को हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा में पैमुद किया गया था।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द को आवंटित भूमि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश हाल में पेमुद की जाकर रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 254/1611 की 9.06 बीधा एवं हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा कुल 19.06 बीधा में पैमुद किया गया है।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान उसके दो पुत्र वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है वाद भूमि वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई से तब से लेकर पूर्व में वादी के पिता सुरजाराम एवं वादी के पिता सुरजाराम के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात वाद भूमि पर पूर्व में वादी के पिता एवं वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में आवंटन के समय से चली आ रही है।

वाद भूमि आवंटन के समय से आदिनांक तक पूर्व मे वादी के पिता सुरजाराम एवं वादी के पिता सुरजाराम के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात वाद भूमि आवंटन के समय से आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि वादी का पिता सुरजाराम आवंटन के 7 सालो बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु आदिनांक तक खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया गया है वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे किन्तु इन्कार हो गये इसलिये वादी ने अपने हकों की धोषणा करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 254/1611 की 9.06 बीधा एवं हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा कुल 19.06 बीधा को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 तरतीबी प्रतिवादी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ ना होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही है प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत ही पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथपत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव पेरोकार राज द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा कुल 30.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन धानसिया को आवंटन की गई थी।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को आवंटित भूमि को भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान साबिका खसरा से हाल खसरा नम्बरों में परिर्वतन किया गया था अर्थात वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को आवटित भूमि रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा हाल खसरा न0 254 /1611 की 9.06 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा को हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा में पैमुद किया गया था।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द को आवंटित भूमि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश हाल में पेमुद की जाकर रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 254/1611 की 9.06 बीधा एवं हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा कुल 19.06 बीधा में पैमुद किया गया है।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान उसके दो पुत्र वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 है वाद भूमि वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई से तब से लेकर पूर्व में वादी के पिता सुरजाराम एवं वादी के पिता सुरजाराम के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात वाद भूमि पर पूर्व में वादी के पिता एवं वर्तमान में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में आवंटन के समय से चली आ रही है।

वाद भूमि आवंटन के समय से आदिनांक तक पूर्व मे वादी के पिता सुरजाराम एवं वादी के पिता सुरजाराम के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है अर्थात वाद भूमि आवंटन के समय से आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली आ रही है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि वादी का पिता सुरजाराम आवंटन के 7 सालो बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु आदिनांक तक खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया गया है वादी वाद भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने के कारण यदि उपनिवेशन नियमों के तहत भी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के हकों की धोषणा की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है इसलिये वाद भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमो/परिपत्रों के अधीन ही वादी पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा कुल 30.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को वादी के पिता सुरजाराम पुत्र

रामचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन धानसिया को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द को आवंटित भूमि भू0प्रबन्ध विभाग की पैमाईश के दौरान हाल खसरा न0 में परिर्वतन की गई थी अर्थात रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा हाल खसरा न0 254 /1611 की 9.06 बीधा में एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा को हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा में पैमुद किया गया था जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा हाल खसरा न0 254 /1611 की 9.06 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा को हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई थी जो आवंटि के कब्जा काश्त में थी। वादी के पिता सुरजाराम के देहान्त होने के बाद उसके पिता सुरजाराम को आवंटित भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों से साबित है वाद भूमि आवंटन के समय से पहले वादी के पिता सुरजाराम के एवं सुरजाराम के देहान्त होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया अर्थात वाद भूमि आवंटन से लेकर आज तक पूर्व में सुरजाराम एवं वर्तमान में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र को वाद भूमि आवंटन होने के सात वर्षो वाद ही वादी के पिता सुरजाराम पुत्र रामचन्द्र नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी सुरजाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को वाद भूमि का खातेदार काश्कार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज सुरजाराम को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 18.07. 1968 के सात वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता सुरजाराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतित होता है वाद भूमि वाद के पिता सुरजाराम को बारानी क्षेत्र में आवटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में समय समय पर परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लियें वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10

प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता सुरजाराम वल्द रामचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया को रोही मौजा धानसिय के साबिका खसरा न0 73 की 10.00 बीधा हाल खसरा न0 254 /1611 की 9.06 बीधा एवं साबिका खसरा न0 82 की 20.00 बीधा को हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा कुल 19.06 बीधा भूमि दिनांक 18.07.19687 को आंवटन की गई थी सुरजाराम वल्द रामचन्द के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 जो वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है जो आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 254/1611 की 9.06 बीधा अर्थात 2.3529हैक एवं हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा अर्थात 2.5300हैक कुल 19.06 बीधा अर्थात 4.8829हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. रामप्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1036 सन 2019 निर्णय दिनांक – 15/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा न0 254/1611 की 9.06 बीधा अर्थात 2.3529हैक्ट एवं हाल खसरा न0 327/1612 की 10.00 बीधा अर्थात 2.5300हैक्ट कुल 19.06 बीधा अर्थात 4.8829हैक्ट भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)